न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 31 / 2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद उमर
देहली गेट के बाहर, देहली गेट रोड, अजमेर
पुलिस थाना गंज अजमेर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री अख्तर हैसेन अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 08.1.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व व्यवसाय की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 24.10.2024 को नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, शीला बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, शीला बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल श्री अख्तर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद उमर, देहली गेट के बाहर, देहली गेट रोड अजमेर पहुॅचा। मौके पर श्री इफितकार पुत्र श्री असलम उपस्थित मिले। उनकी उपस्थिति में देहली गेट के बाहर स्थित मकान की जांच करने पर कुल 08 सिलेण्डर जिसमें 04 व्यावसायिक सिलेण्डर तथा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गए। मौके पर उक्त आठ सिलेण्डरो के बारे में पूछने पर इफितकार ने बताया कि यह सिलेण्डर अख्तर हुसैन के है, जो मेरे बडे भाई है, जो स्कूल वैन चलाते है और अभी बाहर गए हुए है। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के कागजात मांगने पर श्री इफितकार ने बताया कि उक्त सिलेण्डरो के कागजात बडे भाई अख्तर हुसैन के पास है, हमारे पास इनके कोई दस्तावेज नहीं है। मौके पर 100 किग्रा से अधिक गैस (एलपीजी) का भण्डारण पाया गया। उक्त बाबत संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त 08 सिलेण्डरों मय 104.4 किग्रा एलपीजी (04 व्यवसायिक सिलेण्डर तथा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर) को राजहित में कब्जे राज लेकर जब्त किया गया । अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर निकटवर्ती गैस एजेन्सी चन्द्रायन गैस सिर्वस के प्रतिनिधि श्री अयूब खान पुत्र कयूब खान को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर निम्नानुसार पाये गये

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	941205	BPCL SEALED	15.4	29.6	14.2

जिला कलक्टर
अजमेर

2	7063	BPCL SEALED	15.3	29.5	14.2
3	141135	INDANE UNSEALED	15.7	15.7	-
4	116072	INDANE UNSEALED	16.8	16.8	-
5	5060495	BPCL SEALED	19.1	38.1	19.0
6	141862	BPCL SEALED	19.5	38.5	19.0
7	18952	BPCL SEALED	19.2	38.2	19.0
8	34066	BPCL SEALED	19.8	38.8	19.0

सिलेण्डर को मैसर्स चन्द्रायन गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री अयूब खान पुत्र कयूम खान को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 08 गैस सिलेण्डर मय एलपीजी (04 व्यावसायिक सिलेण्डर तथा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर) को राजसात करने के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.10.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर एकमुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जों कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से जब्तशुदा 08 गैस सिलेण्डर मय एलपीजी (04 व्यावसायिक सिलेण्डर तथा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर) राजहित में जब्त किया गया। अतः कब्जेराज लिये गये आठ गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के परिवार में दिनांक 26.10.2024 को अपनी सगी बुआ की पुत्री की शादी थी जिसके चलते अप्रार्थी द्वारा 4 कार्मिशयल सिलेण्डर एवं 4 घरेलू सिलेण्डर जो कि उनके स्वयं के परिवार के लोगो के थे, वहां पर एकत्रित किये हुए थे। उक्त 4 व्यवसायिक सिलेण्डर से हलवाई से सबंधित कार्य दिनांक 25.10.2024 को किया जाना था और जो 4 घरेलू सिलेण्डर थे वह संयुक्त परिवार जन जिस परिसर में उक्त सिलेण्डर मिले वहां पर करीब 5 परिवार अलग अलग कमरो में निवास करते है उन्हीं के संयुक्त सिलेण्डर थे और शादी का माहौल होने के कारण संयुक्त परिवार का खाना विगत दो दिनां से एक ही जगह बन रहा था जिसके चलते उक्त सिलेण्डर एक ही स्थान पर पडे हुए थे । अप्रार्थी द्वारा कभी भी अनावश्यक रूप से उक्त भण्डारण का सग्रंहण नही किया है जबकि बरवक्त चैकिग अप्रार्थी स्वयं मौके पर मौजूद नही था फिर भी अप्रार्थी के विरूद्व गैर आधार पर उक्त परिवाद पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः अप्रार्थी के उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरो को लौटाये जाने एवं अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बरवक्त जांच कार्यवाही दिनांक 24.10.2024 को अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरो का एक मुश्त 100 किग्रा से अधिक भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जों कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 08 गैस सिलेण्डर मय एलपीजी (04 व्यावसायिक सिलेण्डर

जिला कलक्टर
अजमेर

अज अद
सरकार
किस्म मु
तारीख

तथा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर) जब्त किये गये। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.10.2024 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 08 गैस सिलेण्डर मय एलपीजी (04 व्यावसायिक सिलेण्डर तथा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर) व दो अप्रमाणित गैस सिलेण्डर मय 104.4 एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें । एलपीजी का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.1.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर